

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला सागर के अंतर्गत वनमंडल उत्तर सागर के वन परिक्षेत्र खुरई के कक्ष क्रमांक PF 50 रकबा 5.05 हेक्टेयर तथा राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 179 रकबा 0.98 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 194 रकबा 0.23 हेक्टेयर कुल रकबा 6.26 हेक्टेयर वनभूमि सेवन जलाशय लघु सिंचाई योजना निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि :- 12/10/2018

स्थान :- भोपाल

(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of Forests
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal